



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5<sup>th</sup> Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001  
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: [www.dfccil.org](http://www.dfccil.org)

No.HQ/PIO/RTI/28/14

Dated: 03.02.2014

**Sh. Suresh Kumawat,**  
S/o Shri Ganeshram Ji,  
Kumhar Mohalla,  
Village Post-Saantpur,  
Vaya-Aburoad, Distt.-Sirohi,  
Rajsthan.


**Sub:** Information under RTI Act- 2005.

**Ref:** 1. Your application dt: 21.01.2014 received in this office on 27.01.2014.  
2. Your application dt. 10.01.2014 received in this office on 31.01.2014.

आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्रांक सं. HQ/PIO/RTI/122/13 दिनांक 22/05/2013 कि ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें आपको वांछित सूचना प्रेषित कि गई थी और कहा गया था कि राजस्थान राज्य में से होकर गुजरने वाले डीएफसी प्रोजेक्ट कि हद में आने वाले रीको क्षेत्र के अधीन भूमि व उनके पट्टेधारकों/उधमियों से सम्बंधित सूचना विभिन्न सक्षम प्राधिकारी एव उपखंड अधिकारियों द्वारा जारी किये गये अभिनिर्णयों में से प्राप्त कि जा सकता है, यह अभिनिर्णय सीपीएम/अजमेर कार्यालय के विभिन्न फाइलों व रिकार्ड में उपलब्ध है। इनका नियमानुसार अवलोकन कर आवश्यक प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

इस संबंध में आपका ध्यान CIC के निर्णय संख्या CIC/DS/A/2012/002398 dt. 20.06.2013 कि ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आरटीआई एक्ट के तहत सूचना का संकलन और सभी जगह से एकत्र करने का दायित्व सीपीआईओ का नहीं है इसी क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि आरटीआई एक्ट कि धारा 8(j) के तहत वह सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है और जिसका संबंध लोक हित में नहीं है को प्रदान नहीं किया जा सकता है।

किरी अन्व्य व्यक्ति को मिलने वाले धन (compensation & solatium), उनकी व्यक्तिगत सूचना है और प्रकटन लोक हित में नहीं है।

  
(Rajiv Bhatnagar)  
DGM/PIO

Copy to: CPM/Ajmer

DESPATCH

3/2/14